राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 311/2015/भरतपुर

मैसर्स खण्डेलवाल ऑयल इण्डस्ट्रीज,
कुम्हेर, भरतपुर। .....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत–बी, भरतपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री ओ.पी.गुप्ता,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से
श्री एन.के.बैद,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 16/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 101/आरवेट/2013–14/उपा/अपील्स/भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 10.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–बी, भरतपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,02,510/– को यथावत् रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** का जायेगा) द्वारा दिनांक 13.08.2013 को ट्रेक्टर ट्रोली संख्या आरजे–05/आरए–8435 को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में 120 बोरी सरसों पाई गई। वाहन चालक/माल प्रभारी से पूछने पर उसने बताया कि माल कुम्हेर से किरावली (यू.पी.) ले जाया जा रहा है। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा असहयोग करने एवं परिवहनित माल से संबंधित कोई भी दस्तावेज यथा बिल–बिल्टी एवं चालान प्रस्तुत नही करने पर जांच अधिकारी द्वारा पुलिस की मदद से वाहन मय परिवहनित माल को पुलिस चौकी ले जाकर वाहन चालक/माल प्रभारी के बयान कलमबद्ध किये। वाहन मय परिवहनित माल को अधिनियम की धारा 76(5) के तहत् निरूद्ध किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पत्रावली जांच अधिकारी से सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी ने उपस्थित होकर नोटिस के जवाब में

लगातार.....2

परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनके अनुसार माल कुम्हेर से नई मण्डी, भरतपुर के लिए था, प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी शास्ति राशि रूपये 1,02,510/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वाहन चालक/माल प्रभारी के बयान उनके समक्ष न लिये जाकर मात्र खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिये, एवं चार पृष्ठ के बयान के प्रथम पृष्ठ पर हस्ताक्षर है, जबकि अन्य तीन पेज पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल कुम्हेर (भरतपुर) से नई मण्डी, भरतपुर के लिए था। वाहन चालक द्वारा अपने वाहन के रूट को डायवर्ट कर देने मात्र से व्यवसायी को अपराधी नहीं माना जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय कर बोर्ड के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बाबूलाल श्री किशन 12 टैक्स अपडेट 235** का उल्लेख किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाहन में 120 बोरी सरसों कुम्हेर से किरावली (यू.पी.) ले जाया जा रहा था, एवं संबंधित परिवहनित माल के संबंध में वक्त चैकिंग कोई भी दस्तावेज यथा बिल–बिल्टी एवं चालान प्रस्तुत नही किये। बाद में उनके द्वारा माल के समर्थन में कुम्हेर से नई मण्डी, भरतपुर के दस्तावेज प्रस्तुत किये। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की दृष्टि से माल का परिवहन किया जा रहा था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया।

7. रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वक्त चैकिंग परिवहनित माल के संबंध में कोई भी दस्तावेज यथा बिल–बिल्टी एवं चालान प्रस्तुत नहीं किये, एवं वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा सशक्त अधिकारी के साथ असहयोग भी किया

लगातार.....3

गया। सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

> **76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispach memos.**

8. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल–बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम का धारा 76(2)(बी) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जब वाहन को चैक किया गया, उस समय उसके पास परिवहनित किए जा रहे माल के कोई दस्तावेज नहीं पाए गये, अतः यह अधिनियम की धारा 76(2)(b) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपणीय है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उल्लेखित माननीय कर बोर्ड के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम बाबूलाल श्री किशन 12 टैक्स अपडेट 235 के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न है, क्योंकि इसमें वाहन चालक द्वारा वाहन के रूट को डायवर्ट करने के बारे में निर्णय दिया गया है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रूट डायवर्ट करने के साथ परिवहनित माल के साथ माल से संबंधित माल के दस्तावेज भी नहीं मिले, एवं वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा असहयोग भी किया गया। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

9. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 10.10.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

16/8/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य